उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 रिविजन वाद सं0– 01/2017–18

गुरूपद धीवर .....आवेदक

बनाम

16/– रैयत, मौजा आसनसोल ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

25/04/2017 यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 01/17–18 गुरूपद धीवर बनाम् 16/– रैयत मौजा आसनसोल के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 वाद सं0 403/15–16 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2016 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा आसनसोल के दाग सं0 209/A में आवेदक के पिता को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एस0आर0 वाद सं0 239/1953–54 में 03–11–00धूर जमींन की बन्दोबस्ती मिली है। उक्त बन्दोबस्ती जमींन का भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका के लगान धार्य वाद सं0 2/02–03 दिनांक 02.09.2008 द्वारा लगान धार्य किया गया है। तत्पश्चात आवेदक द्वारा नियमित रूप से लगान का भुगतान किया जा रहा है तथा प्रश्नगत जमींन में शान्तिपूर्वक भोग/दखल कर रहा है। उनके द्वारा बहस के दौरान यह भी कहा गया कि वर्त्तमान सर्वे में अंतिम पर्चा प्राप्त हो चुका है। आवेदक द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त बन्दोबस्ती प्राप्त जमींन का सीमांकन हेतु आवेदन दाखिल किया गया, किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा उनके दावों पर उचित विचार नहीं किया गया जो न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए रिविजन आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

आवेदक द्वारा दाखिल एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध कागजातों को अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक को निम्न न्यायालय के एस0आर0 वाद सं0 239/53–54 में आदेश दिनांक 02.09.1954 द्वारा 03–11–00 धूर जमींन की बन्दोबस्ती प्राप्त हुई थी। इस आदेश के विरूद्ध में उपायुक्त संथाल परगना, दुमका के न्यायालय में रे0मि0 अपील वाद सं0 106/1954–55 रजत भंडारी एवं अन्य द्वारा अपील दायर किया गया था। उस अपील वाद के अपीलकर्त्ता यानी रजत भंडारी, नवीन भंडारी, गोदाई भंडारी एवं गौर चन्द भंडारी को उक्त दाग के दक्षिण भाग में रकवा 01–18–11 धूर एवं बांकी रकवा 02–11–00 कठ्ठा जमींन महेन्द्र केवट यानी आवेदक के पिता के साथ बन्दोबस्ती करने का उभय पक्षों द्वारा आपसी समझौता आवेदन दाखिल किया गया। इसी समझौता आवेदन के आधार पर अनुमंडल

पदाधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 03.05.1956 को उभय पक्षों को जमींन पर बसगढ़ी करने का आदेश पारित किया गया एवं आदेश दिनांक 28.11.1956 को उभय पक्षों को उक्त जमींन पर बसगढ़ी दिया गया। किन्तु आवेदक द्वारा इन पारित आदेशों को दर्शाये बिना ही भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका के लगान धार्य वाद सं0 2/02–03 द्वारा 03–11–00 धूर जमींन का लगान धार्य करवा लिया गया है तथा वर्त्तमान सर्वे में भी अपना खाता खुलवा लिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। चुँकि उन्होनें निम्न न्यायालय में भी इन आदेशों का जिक्र किये बिना ही आदेश दिनांक 02.09.1954 के आधर पर उक्त दाग के 03–11–00 जमींन पर सीमांकन हेतु आवेदन दाखिल किया गया, जबकि उन्हें दिनांक 03.05.1956 को प्रस्तुत सुलहनामा आवेदन के अनुसार 02–11–00 धूर जमींन आवेदक के पिता के साथ बन्दोबस्ती देने की वात कही गयी है। अंचल अधिकारी के पत्रांक 719/रा0 दिनांक 29.08.2016 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में भी इस बात का जिक्र है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि आवेदक द्वारा 03–11–00 धूर जमींन का लगान भुगतान किया जा रहा है जबकि सुलहनामा के आधार पर आवेदक को 02–11–00 धूर जमींन बन्दोबस्ती का ही जिक्र है। इस सत्यता की भी जांच की आवश्यकता प्रतीत होती है। निम्न न्यायालय में विशू भंडारी एवं अन्य द्वारा इस सीमांकन के विरूद्ध आपत्ति आवेदन दाखिल किया गया है एवं इसी आपत्ति आवेदन के आधार पर आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया गया। आवेदक द्वारा इस रिविजन में 16/– रैयतों को पक्षकार बनाया गया है किन्तु इन आपत्तिकत्ताओं को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उन आपत्तिकत्ताओं के सुने बिना इस वाद में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को इस आदेश के साथ पुर्नविचारार्थ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षों को सुनकर तथा अंचल अधिकारी, दुमका से जमींन का दखल संबंधी जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर आदेश पारित किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त
दुमका।